न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— गारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 192/2024

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. भंवरलाल पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी चाड़वास हाल निवासी हंस वाहिनी स्कूल के पास, इंद्रा कॉलोनी, पाली तह0 व जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. **श्री पुनीत दवे, श्री जय तंवर अधिवक्तागण वादीगण उपस्थित।**
2. **तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।**

—: निर्णय :— दिनांक :— 25/06/2025

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम सोहन नगर, प0ह0 राजोला कलां, भू0अ0नि0 क्षेत्र चौपड़ा तह0 सोजत के वादी एवं अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं0 44 पुराना खाता सं0 46 के ख0नं0 492, 493, 511, 512 कुल खसरा 04 कुल रकबा 8.9800 है0 की कृषि भूमि पूर्व में वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में लिछमणराम पुत्र खुमाराम 1/8 हिस्सा दर्जसुदा है। जो वादी के पिता खुमाराम की मृत्यु पश्चात् रेवेन्यु रेकर्ड जमाबन्दी खुमाराम के फोत के स्थान पर लिछमणराम पुत्र खुमाराम व मोहनराम पुत्र खुमाराम दर्ज किया गया, जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम भंवरलाल पुत्र खुमाराम था। वादी को ग्राम चाडवास व सोहननगर में भंवरलाल पुत्र खुमाराम के नाम से भी जानते थे, घर में सभी लोग आम बोलचाल में व स्नेह से लिछमणराम ही कहते थे। वादी के तमाम दस्तावेजो में उनकी वल्दीयत में उनके पिता का नाम भंवरलाल ही दर्ज है। वादी के आधार कार्ड में भी वादी का नाम भंवरलाल पुत्र खुमाराम ही अंकित है। इस प्रकार यह साबित होता है कि वादी का सही व वास्तविक नाम भंवरलाल पुत्र खुमाराम ही है, लेकिन राजस्व कर्मचारीयो ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य की जाँच किये घर का नाम लिछमणराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया, जो कि गलत दर्ज हुआ है। ग्राम सोहननगर, चाडवास में लिछमणराम पुत्र खुमाराम नाम का अन्य कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता है। वादी का सही व वास्तविक नाम भंवरलाल पुत्र खुमाराम है, जबकि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में भंवरलाल पुत्र खुमाराम के स्थान पर लिछमणराम पुत्र खुमाराम अंकित कर दिया गया है, जिसको दुरूस्त कर वादी इस बात की घोषणा करवाने का अधिकारी है। इस प्रकार अधिवक्ता वादी ने की इस्तदुआ है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम सोहन नगर के खसरा संख्या 492, 493, 511 व 512 कुल खसरा 04 कुल रकबा 8.9800 हैक्टर के रेवेन्यू रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम लिछमणराम पुत्र खुमाराम के स्थान पर भंवरलाल पुत्र खुमाराम दुरूस्त कर वादी को खातेदार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत द्वारा पैरा सं0 01 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा सोहन नगर में स्थित होना, पैरा सं0 02 से 04 का जवाब प्रार्थी स्वयं साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 05 से 08 का जवाब कानूनी होना अंकित किया।

उपखण्ड अधिकारी,

वादग्रस्त भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत के पत्रांक/राजस्व/2025/782 दिनांक 05.06.2025 के जरिये प0ह0 राजोला कलां से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निवेदन किया कि प्रार्थी भंवरलाल पुत्र खुमाराम को घर पर राभी स्नेह से लिछमनराम पुत्र खुमाराम पुकारते थे, इनके पिताजी के फौत होने पर बाद फौतेदगी नामा0 लिछमणराम पुत्र खुमाराम दर्ज हुआ। अतः लिछमणराम पुत्र खुमाराम के स्थान पर भंवरलाल पुत्र खुमाराम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की जाती हैं।

बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार वादी का नाम लिछमणराम पुत्र खुमाराम के स्थान पर भंवरलाल पुत्र खुमाराम की खातेदारी घोषणा की जाकर रेकर्ड दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जाने की ईशतदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दावा, जवाब दावा, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट, फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत मय पटवारी हल्का राजोला कलां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर भंवरलाल पुत्र खुमाराम का ही घरेलू नाम लिछमणराम पुत्र खुमाराम की संपुष्टि होती हैं। वादी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड सं0 6747 5470 6466, मतदाता पहचान सं0 DDG/1931328, पैन कार्ड सं0 AFNPJ5308Q, मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि में भंवरलाल पुत्र खुमाराम दर्ज हैं। तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य से वादी का वास्तविक व सही नाम लिछमणराम पुत्र खुमाराम नहीं होकर भंवरलाल पुत्र खुमाराम होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा अधिवक्ता वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादी का नाम लिछमणराम पुत्र खुमाराम के स्थान पर भंवरलाल पुत्र खुमाराम को खातेदार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली

अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम सोहन नगर, प0ह0 राजोला कलां, भू0अ0नि0 क्षेत्र चौपड़ा तह0 सोजत की कृषि भूमि खाता सं0 44 पुराना खाता सं0 46 के ख0नं0 492, 493, 511, 512 कुल खसरा 04 कुल रकबा 8.9800 है0 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी का नाम लिछमणराम पुत्र खुमाराम के स्थान पर वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम भंवरलाल पुत्र खुमाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 05/06/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर (राज.) सोजत